रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1464] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935
No. 1464] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ASHADHA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

का.आ. 1847(अ) - यत:, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), तारीख 07/05/2010 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 ए के 0.000 कि.मी. से 80.858 कि.मी. (रोहतक-पानीपत सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यत:, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने, मैसर्स रोहतक पानीपत टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय "सद् भाव हाउस", लॉ गार्डन पुलिस चौकी के सामने इल्लिसब्रिज अहमदाबाद-380006, गुजरात भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ 30.11.2009 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 71ए (नया रा.रा.-709) के 0.000 कि.मी. (रारा-10 का 63.300 कि.मी.) से 80.858 कि.मी (रारा-1 का 83.500 कि.मी.) तक रोहतक पानीपत सेक्शन (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) का डिजाइन,

2809 GI/13

निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विकास करने के लिए 09.03.2010 करार किया है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त करार" कहा गया है)

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज,युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 46.460 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 2 मे विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाले बाइपास जिसकी कुल लम्बाई 34.40 किमी है, के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार वर्ष 2007-2008 के लिए सारणी -2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन-प्रमाणपत्र अथवा अंतिम समापन-प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी -1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी -2

आधार वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति यात्रा) (रूपये में)					
बाइपास की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
9.80 किमी (रोहतक जिले में मकरौली कलां गांव के पास)	18.940
64.200 किमी (पानीपत जिले में दाहार गांव के पास)	27.520

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए उपर्युक्त सारिणी 2 के अनुसार शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास (बाइपासों) की लंबाई (कि.मी. में) और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
	संरचना का नाम	लम्बाई (किमी में)	लागत (करोड़ रूपये में)
9.80 किमी (रोहतक जिले में मकरौली कलां गांव के पास)	0.000 किमी से 13.600 किमी तक रोहतक बाइपास	13.600	163.48
	21.975 किमी से 30.040 किमी तक जस्सी/घिलोरकंड/ रुखी बाइपास	8.200	87.18
	37.740 किमी से 45.300 किमी तक गोहाना बाइपास की आधी लम्बाई	3.75	40.89
64.200 किमी (पानीपत जिले में दाहार गांव के पास)	37.740 किमी से 45.300 किमी तक गोहाना बाइपास की आधी लम्बाई	3.75	40.89
	75.800 किमी से 80.858 किमी तक पानीपत बाइपास	5.100	86.68

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 तथा 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियाजना की लम्बाई के पूरे कर लिए गए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा और प्रकाशित किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/658/11-12/जीसी-रोहतक (रोहतक-पानीपत)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2013

S.O.1847(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated 07/05/2010, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 80.858 [Rohtak – Panipat Section] of National Highway No. 71A in the State of Haryana to the National Highways Authority of India, (hereinafter referred to as the "Authority");

2809 GI/13-2

And whereas, pursuant to the provision of section Section-14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 09.03.2010 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Rohtak Panipat Tollway Pvt. Ltd., having its registered office at "Sadbhav House", Opp. Law Garden Police Chowki, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006, Gujarat, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 30.11.2009 for the development of the Rohtak - Panipat Section from km 0.000 (km 63.300 of NH-10) to km 80.858 (km 83.500 of NH-1) (hereinafter referred to as the "said section") of the National Highway Number – 71A (new NH-709) in the state of Haryana on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 46.460 km. for use of the four and more lane sections and at the base rates specified in the Table No. 2 for the bypasses having an aggregate length of 34.40 km costing Rupees Ten Crore or more for the base year 2007-08 on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the authority and on getting the completion certificate or the Provisional Completion Certificate, as the case may be, from the authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Base rate of fee for the base year 2007-08 (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of bypass (Rupees in Crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred Crore and upto Rupees two hundred Crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
km 9.80 (Near Makrauli Kalan village in Dist. Rohtak)	18.940
km 64.200 (Near Dahar village in Dist. Panipat)	27.520

2. In additional to above, the fee as per Table 2 above shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and cost of bypass(es) for which additional fee is payable		
	Name of Structure	Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)
km 9.80 (Near Makrauli Kalan village in Dist. Rohtak)	Rohtak bypass from Km 0.000 to Km 13.600	13.600	163.48
	Jassi/Ghilorkand/Rukhi bypass from Km 21.975 to Km 30.040	8.200	87.18
	Half-length of Gohana bypass from Km 37.740 to Km 45.300	3.75	40.89

km 64.200 (Near Dahar village in Dist. Panipat)	Half-length of Gohana bypass from Km 37.740 to Km 45.300	3.75	40.89
	Panipat bypass from Km 75.800 to Km 80.858	5.100	86.68

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highways. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and published provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the proceeding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/CO/658/11-12/GC- Rohtak (Rohtak – Panipat) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.